Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में राजस्व पटवारी 03 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *13 अक्टूबर, शुक्रवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीमती उर्मिला फगेड़िया, हाल पटवारी पटवार हल्का सेवद बड़ी तहसील/जिला सीकर को परिवादी से **03 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी बुआ द्वारा किये गये हक त्याग का नामान्तरकरण दर्ज करने की एवज में पटवारी सेवद बड़ी द्वारा **04 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की सीकर इकाई के प्रभारी **श्री रविन्द्र सिंह शेखावत, उप अधीक्षक पुलिस** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती उर्मिला फगेड़िया, हाल पटवारी पटवार हल्का सेवद बड़ी तहसील/जिला सीकर को परिवादी से **03 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपिया द्वारा **01 हजार रूपये** रिश्वत राशि पूर्व में ही दौराने सत्यापन परिवादी से वसूल ली गई थी।

एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ एंव आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।